न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः-- सत्यनारायण आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 105 / 2015

तारीख दायरा—27.07.2015

तारीख निर्णय—14.03.2016

1. श्री वरदीसिंह पिता उदयसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री कमलसिंह पिता उदयसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमति कंचन पुत्री पृथ्वीसिंह दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमति रेखा पुत्री पृथ्वीसिंह दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा
3. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री पृथ्वीसिंह दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री जीवनसिंह पिता पृथ्वीसिंह दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमति तुलसीबाई बेवा पृथ्वीसिंह दरोगा राजपूत निवासी जोरमा सिंघाडा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमान् उप पंजीयक सायरा जिला उदयपुर
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से— श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोरमा पटवार क्षेत्र सिंघाडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी किता 01 रकबा 0.0200 है0 एवं खाता संख्या 75 में वर्णित आराजियात किता 15 कुल रकबा 1.0400 है0 भूमि स्थित है, वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में श्रीमति सुशीला, पुष्पा, भंवरी, नन्दा एवं मीना पिता उदयसिंह द्वारा अपना हिस्सा अपने भाई वादीगण को हक त्याग कर देने जाने से उक्त आराजियात में वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को विक्रय करने पर आमादा होने से वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित आराजियात का हिस्से अनुसार विभाजन करा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण मना कर गये और उनके द्वारा बराबर धमकी दी जा रही है कि वे शीघ्रताशीघ्र भूमि को विक्रय कर देगें एवं वादीगण को मौके से बेदखल कर देगें। इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी सुविधा अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का कानूनी विभाजन नही होने से आगे कोई विवाद न हो इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करा पृथक से खाते दर्ज करवाना चाहता है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाड़ा किया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज करवाई जाकर अलग–अलग लगान कायम करवाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल द्वारा वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहने से जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं हम प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है, तो हमे कोई आपत्ती नही है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा जोरमा पटवार क्षेत्र सिंघाडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

खाता संख्या 36 एवं 75 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त भूमि का विभाजन चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा विभाजन किये जाने में सहमति जाहिर की है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जोरमा पटवार क्षेत्र सिंघाडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी किता 01 रकबा 0.0200 है0 एवं खाता संख्या 75 में वर्णित आराजियात किता 15 कुल रकबा 1.0400 हैक्टयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य हिस्सेनुसार मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये वादी पक्ष अदा करेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा–उदयपुर